कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 1879 /मनरेगा, हाजीपुर दिनांकः 30/9/13

प्रेषक,

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली(हाजीपुर)

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।

विषयः— **जिला पदाधिकारी, वैशाली के जनता दरवार के परिवाद पत्र मौस्मात मीना देवी, पति— स्व0 पूरन दास, ग्राम— खजनपुरा, प्रखण्ड— पातेपुर, जिला— वैशाली से संबंधित जांच प्रतिवेदन।**

प्रसंगः— **पत्रांक 1280/ अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 03.08.2013**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शिकायत पत्र के अनुसार जांच प्रतिवेदन के तथ्य एवं निष्कर्ष भेजा जा रहा है। उक्त जांच से संबंधित संचिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सुरक्षित है।

अनुलग्नकः जांच प्रतिवेदन के तथ्य एवं निष्कर्ष।

विश्वासभाजन

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 1879 /मनरेगा, दिनांक 30.09.13

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी—सह— जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा(वैशाली)

शिकायत संख्या– 22/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष

दिनांक		अभ्युक्ति
	यह शिकायत पत्र मोस्मात मीना देवी, पति स्व0 पुरन दास, ग्राम– खर्‌नपुरा, ग्राम पंचायत – चाँदपुर फतह, पो0– वरियारपुर प्रखण्ड– पातेपुर, जिला– वैशाली के दिनांक 23.08.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है। ग्राम पंचायत चाँदपुर फतह की मनरेगा योजना के वृक्षारोपण कार्य में पौधो में पानी पटाने की मजदूरी करीब 2 वर्षो से मुखिया के पति नुनू पासवान नहीं देते है। मेरे पति के मजदूरी का पैसा भी नहीं दिये है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। शिकायतकर्त्ता का आगे यह भी कहना है कि मुखिया पति पासबुक रखे हुए है और मेरे पति का भी पासबुक रखे हुए है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत पत्र के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, पातेपुर से दिनांक 27.08.2013 को कारण पृच्छा की मांग की गयी तथा एक सप्ताह के अन्दर जांच प्रतिवेदन से अवगत कराने हेतु दिया गया। परन्तु दिनांक 20.08.2013 तक प्रतिवेदन अप्राप्त था। अतएव दिनांक 21.09.2013 को मेरे द्वारा उक्त पंचायत का स्थल भ्रमण किया गया। मेरे साथ ग्राम पंचायत चाँदपुर फतह के पंचातय रोजगार सेवक, श्री उमेश कुमार तथा पंचायत तकनीकी सहायक, श्री सजीव कुमार शर्मा के साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। मेरे स्थल भ्रमण में पाया गया कि मोस्मात मीना देवी का कथन सत्य है। मोस्मात मीना देवी के दरवाजे पर स्वयं मीना देवी अपने बच्चों के साथ उपस्थित थी। वहाँ पहुँचने के बाद काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हो गये। शिकायतकर्त्ता मोस्मात मीना देवी ने अपने लिखित ब्यान में बताया कि वर्ष 2011 में मेरे पति ने वृक्षारोपण कार्य में छः महीना काम किया था। मगर उन्हें किसी तरह का मजदूरी भुगतान नहीं हुआ। और उनकी मृत्यु भी हो गयी। उस समय मुखिया बुलाने पर आये भी नहीं। उन्होनें अपने ब्यान में यह भी कहा है कि वर्ष 2011–12 में मैं स्वयं मनरेगा योजना के वृक्षारोपण कार्य योजना सं0 28/11–12 तथा 29/11–12 में छः महीना कार्य की परन्तु आजतक कोई भुगतान नहीं किया गया है। मेरा जॉब कार्ड और पास बुक भी मुखिया के पास है। मुझे नहीं मिला है। उनके उक्त ब्यान पर उक्त गॉव के सात व्यक्तियों ने भी हस्ताक्षर और निशान दिये है। जो जॉब कार्ड धारी भी है। वर्तमान पंचायत रोजगार सेवक ने भी हस्ताक्षर किये है। उक्त पूछताछ के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण स्थल पर जुटे थे। उसी स्थल पर एक अन्य ग्रामीण श्री जगेश्वर पासवान, पिता– लखन पासवान ग्राम– खजनपुरा, पो0– वरियारपुर , थाना– पातेपुर, जिला– वैशाली जॉव कार्ड सं0 333 ने भी लिखित ब्यान दिया है कि वर्ष 2012 में वृक्षारोपण योजना में तीन महीना कार्य किया हूँ। जिसका भुगतान उन्हें मुखिया जी द्वारा नगद 5000/– (पाँच हजार रुपये) दिया गया है। शेष रकम पिछले एक वर्ष से बाकी है। मुखिया जी कहते है कि जिला से पैसा मिलने पर	

मिलेगा। नया जॉब कार्ड भी नहीं दिया गया है।

एक अन्य ग्रामीण अर्जुन दास, पिता– शत्रुधन दास, ग्राम खजनपुरा, प्रखण्ड– पातेपुर जॉब कार्ड सं0– 362 में लिखित ब्यान दिया है कि उपरोक्त योजनाओं में मेरा भी भुगतान नहीं मिला हैं जबकि वृक्षारोपण योजनाओं में छः महीना कार्य किया हूँ।

वर्तमान पंचायत रोजगार सेवक श्री उमेश कुमार से पूछने पर उन्होंने लिखित रूप से बताया है कि शिकायतकर्त्ता मीना देवी, पति– स्व0 पूरन दास, ग्राम– खजनपुरा के कार्य भुगतान के लिए एम0आर0 इत्यादि पूर्व पंचायत रोजगार सेवक, श्री रवि भूषण कुमार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

विदित है कि श्री उमेश कुमार ने चार–पाँच महीने पूर्व ही ग्राम पंचायत चॉदपुर फतह मे पंचायत रोजगार सेवक का पदभार ग्रहण किये है। उसके पहले पंचायत रोजगार सेवक , श्री रवि भूषण कुमार को जो किसी केस में संलिप्त है और वो अभी कार्यरत भी नहीं है। पंचायत तकनीकी सहायक ने बताया है कि उनकी सेवा भी समाप्त की जा चुकी है।

उक्त शिकायत पत्र के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी–सह– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पातेपुर से पूछने पर उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि उक्त पंचायत के मुखिया ने लोक अदालत के केस में यह एग्रीमेन्ट किया है कि मनरेगा में राशि आने के बाद बाकी राशि का भुगतान शिकायतकर्त्ता को कर दिया जायेगा। उक्त संबंध में मेरे द्वारा उक्त केस संबंधित एग्रीमेन्ट का कागज की मांग की गयी तो वे बोले कि दे दूँगा। मगर आजतक उक्त कागज अप्राप्त है। शिकायतकर्त्ता के ब्यान ग्रामीणों की स्वीकारोक्ति उक्त ग्राम के अन्य मजदूरों की शिकायत तथा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के ब्यान से यह स्पष्ट है शिकायतकर्त्ता की मजदूरी बाकी है। परन्तु मस्टर रॉल की प्रति या एडवाइस इत्यादि के नहीं उपलब्ध हो पाने के कारण उनकी राशि का सही आकलन नहीं हो पाया है। वर्तमान पंचायत रोजगार सेवक ने लिखा है कि कार्य भुगतान के लिए एम0आर0 इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया गया है और मुझे जानकारी भी नहीं है। फलस्वरूप मजदूरी का सही राशि मुझे नहीं मिल पाया है।

अतः शिकायतकर्त्ता की समुचित राशि का भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।